संख्या-1583/2026/1154/22-2-2026-17(1682)/2022

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 *लखनऊ: दिनांक 06 नवम्बर 2026*

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी बृजेश कुमार वर्मा पुत्र श्री रामनाथ वर्मा, निवासी जनपद-उन्नाव की स्थायी नीति के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक,(मु0) कारागार के पत्र संख्या-21520/प्रो(6)/264/(मजदूर दिवस-26), दिनांक 03.06.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी बृजेश कुमार वर्मा पुत्र श्री रामनाथ वर्मा, गजफ्फरपुर पैसरा, थाना-फतेहपुर चौरासी, जनपद-उन्नाव का निवासी है। बंदी द्वारा दिनांक 27.08.2007 को अपने 01 सहअभियुक्त के साथ शक्ति एक्सप्रेस ट्रेन के प्रथम श्रेणी में कानपुर सेन्ट्रल से दिल्ली की यात्रा कर रहे डा० अनुराग मित्तल से मोबाइल फोन के अतिरिक्त रूपये 01 लाख भारतीय मुद्रा व 08 हजार अमेरिकन डालर लूटकर रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी तथा शव को ट्रेन से फेंक दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-618/2008 में भा0द0वि0 की धारा-394, 302, 201, 411, 419, 468, 471 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-11, अलीगढ़ के आदेश दिनांक 03.05.2011 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया, जिसकी अपील मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 29.08.2018 एवं मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 22.03.2021 द्वारा निर्णीत करते हुये उक्त सजा को यथावत रखा गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 30.04.2026 तक अपरिहार 18 वर्ष, 07 माह, 18 दिन एवं सपरिहार 21 वर्ष, 07 माह, 09 दिन की सजा भोगी गयी है। दयायायिका समिति द्वारा बन्दी द्वारा योजना बनाकर चलती ट्रेन में डा0 अनुराग मित्तल से रूपये, अमेरिकन डालर व मोबाइल लूट कर उसकी हत्या कर शव को ट्रेन से फेंक दिया। बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने की श्रेणी में आता है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत सन्देश जायेगा। अतएव बन्दी द्वारा कारित अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के कारण मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा उक्त वाद को निरस्त किये जाने तथा समाज को प्रभावित करने वाले अपराध के दृष्टिगत समिति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 161 के अन्तर्गत निर्धारित स्थायी नीति विषयक शासनादेश संख्या-564/2018/1106/22-2-2018-07जी/2018, दिनांक 01 अगस्त, 2018 एवं यथासंशोधित संख्या-120/2021/1382/22-2-2021-07जी/2018, दिनांक 28 जुलाई 2021. शासनादेश संशोधित शासनादेश संख्या-52/2022/1240/22-2-2022-07जी/2018 दिनांक 27.05.2022 के प्रस्तर-12 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी बृजेश कुमार वर्मा पुत्र श्री रामनाथ वर्मा की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी बृजेश कुमार वर्मा (बन्दी सं0-16576) पुत्र श्री रामनाथ वर्मा, जनपद-उन्नाव की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव।

संख्या-1583/2026/1154(1)/22-2-2026 तद्दिनांक....

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट उन्नाव।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।

3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ।

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से
कमलेश कुमार
उप सचिव।